RJPP, Vol. 16, No. 2, 2018, ISSN (P) : 0976-3635, (e) :2454-3411 Impact Factor 6.476 (SJIF)
UGC Approved Journal No. 43279

स्वतन्त्र भारत में महिलाओं की राजनीतिक जागरूकता एवं सहभागिता

डॉ0 सीमा देवी*, कुलदीप**

**असि0 प्रो0, **शोधार्थी*

राजनीतिविज्ञान विभाग, कु0 मायावती राजकीय महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय

बादलपुर, गौतमबुद्धनगर (उ0प्र0)

सारांश

स्वतन्त्र्योत्तर भारत में महिलाओं की राजनीतिक जागरूकता एवं सहभागिता पर किसी गम्भीर टिप्पणी करने से पूर्व अवश्य ही उन स्थितियों पर दृष्टिपात कर लेना चाहिये जिनके परिणामस्वरूप भारतवर्ष स्वतन्त्रता की रोशनी प्राप्त कर सका था। भारतीय राष्ट्रीय स्वातन्त्र्य समर का विश्लेषण करने वाले अधिकांश इतिहास, विश्लेषक एवं स्वतन्त्र शोधकर्ता इस बात को स्वीकार करते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन गहन राजनीतिक मुक्ति का आन्दोलन नहीं था अपितु यह भारतवर्ष के समग्र पुनरूत्थान एवं यथोपयोगी पुनर्निर्माण का आन्दोलन था।

महिलाएँ जो सामान्यतः सभी समाजों का लगभग आधा हिस्सा होती है, को भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन में सक्रिय सहभागिता करते देखा गया, जिससे न केवल उनका राजनीतिक समानीकरण हुआ अपितु उनमें अपने अधिकारों के प्रति संचेतना भी जाग्रत हुई। भारतीय संविधान निर्मात्री सभा ने भी राजनीतिक प्रणाली में महिलाओं की सक्रिय सहभागिता को सुनिश्चित करने के लिये उन्हें सभी मामलों में बराबरी का अधिकार दिया। राज्य के नीति निर्देश तत्वों में भी महिलाओं की गरिमा को सुनिश्चित करने विषयक प्रावधान जोड़े गये। प्रस्तुत शोध पत्र में भारतीय स्वतन्त्रता आन्दोलन के फलस्वरूप संविधान निर्मात्री सभा द्वारा महिलाओं की जागरूकता एवं सहभागिता से संबंधित जो बीजारोपण किया गया था उसका प्रस्फुटन एवं पल्लवन किस दिशा में, कितना एवं कैसे हुआ है को रेखांकित करने का प्रयास करना है।

***मूल शब्द** : जागरूकता, विदुषी, वेश्यावृत्ति।*

Reference to this paper should be made as follows:

डॉ0 सीमा देवी*, कुलदीप**

स्वतन्त्र भारत में महिलाओं की राजनीतिक जागरूकता एवं सहभागिता

RJPP 2018, Vol. 16, No. 2, pp. 1-7 Article No. 1

***Online available at :** http://anubooks.com/?page_id=2004*

स्वतन्त्र भारत में महिलाओं की राजनीतिक जागरूकता एवं सहभागिता

डॉ0 सीमा देवी, कुलदीप***

भारत में सभ्यता का सुप्रभात सिन्धु सभ्यता के काल से माना जाता है। इस काल में नारी और पुरूष दोनों को समाज में समान अधिकार प्राप्त थे। दोनों गृह कार्य और ब्राह्म कार्यो बिना किसी भेदभाव के समान रूप से भाग लेते थे। नारी की प्रजनन शक्ति के कारण ही सिन्धु समाज मातृ सत्तात्मक था और सृजनात्मक शक्ति के रूप में उसका आदर किया जाता था। इसका प्रमाण उत्तर प्रदेश की बेलन घाटी जो मिर्जापुर में है, से मिलता हो जहाँ खुदाई में प्राप्त नारी प्रतिभा का विश्लेषण करते हुए साकंलिया ने उल्लेख किया है कि निश्चय ही यह नारी प्रतिभा एशिया और यूरोप में मान्यता प्रापत आदिकालीन सृजनात्मकता मात्र देवी के समान प्रतीत होती है।[1]

वैदिक काल में स्त्रियों के आदर और सम्मान का युग था। बालकों के समान कन्याओं का भी उपनयन संस्कार किया जाता था और शिक्षा प्राप्त करने का बालकों को समान अधिकार था। उन्हें पुरूषों के समान धार्मिक कार्यों में भाग लेने का अधिकार था। उन्हें गृहस्वामिनी, अर्धागिनी आदि नामों से सम्बोधित किया जाता था। वैदिक काल की कुछ विदुषी महिलाओं में अपाला, थोशा, विश्ववारा, लोपामुद्रा आदि के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं जिन्होंने वैदिक ऋचाओं की रचना की थी। इसी परिणामस्वरूप उन्हें ब्रह्मवादिकी और मंत्रदृष्टा भी पुकारा जाता था।

निःसन्देह प्राचीन काल में महिलाओं की भारतीय समाज में स्थिति सम्मानपूर्ण व आदरणीय थी। इस अवधि में आर्य अपने समस्त धार्मिक एवं पवित्र कर्म महिलाओं के सहयोग से सम्पादित करते थे और स्त्री को अर्धांगिनी और अर्द्धस्वामिनी के नाम से पुकारा जाता था परन्तु कालान्तर के समय के साथ समाज में महिलाओं के आदर व सम्मान में गिरावट आने लगी। एक तरफ जहाँ स्त्रियों की शिक्षा के पतन से महिलाओं को न और मध्यकाल के उत्तरार्द्ध तक में तो उनकी स्थिति अत्यन्त दयनीय हो गई। 18वीं षताब्दी में आने तक महिलाओं को हीन दृष्टि से देखा जाने लगा था। वहीं दूसरी तरफ बाल विवाह, स्त्रीप्रथा व पर्दा प्रथा जैसे उनकी योग्यताओं को निखरने नहीं दे रही थी और सम्पत्ति पर अधिकार से वंचित होने के कारण वह सम्मान भी अर्जित नहीं कर पा रही थी।

18वी शताब्दी में स्त्रियों की इस दिशा में सुधार के लिए कुछ समाज सुधारकों ने प्रयास करने आरम्भ कर दिये थे उनमें से कुछ प्रमुख नाम राजा राममोहन राय, स्वामी दयानन्द सरस्वती, स्वामी विवेकानन्द, केशवचन्द सैन, महादेव गोविन्द रनाडे, आत्माराम पाण्डुरंग, चन्द्रावरर्कर, महात्मा ज्योतिबा फूले, डॉ0 बी0आर0 अम्बेडकर निम्न हैं। इसके अलावा कुछ महिलाएँ भी थी जो नारी उत्थान के लिए अलग–अलग तरीको से योगदान कर रही थी, उनके प्रमुख नाम सावित्री बाई फूले, रमाबाई, ऐनीबेसेन्ट, सरोजनी नायडू, अरूणा आसफअली, सुचेता कृपलानी, कल्पना दत्त निम्न है। इन सब प्रयासों के फलस्वरूप भारतीय महिलाओं की स्थिति में सुधार होने लगा था, मगर अभी भी एक सशक्त और बड़े प्रयास की आवश्यकता थी और संविधान सभा ने इस कार्य को बखूबी अंजाम दिया।

भारत एक बड़े क्षेत्र में फैला, विविधता भरा देश था इसलिए एक ऐसी संविधान निर्मात्री सभा का संगठन किया गया जो सम्पूर्ण देशों व सभी धर्मों, जाति, वर्गों आदि का प्रतिनिधित्व

करती हों और सभी की समस्याओं व आवश्यकताओं पर बल देती हों। संविधान निर्मात्री सभा ने भी अपने उत्तरदायित्व का अच्छे से वहन करते हुए एक ऐसे संविधान का निर्माण किया जो सभी धर्मों, जाति, वर्गों, क्षेत्रों, दलितों, गरीबों आदि का विकास कर सके। चूँकि यह जग जाहिर है और संविधान निर्मात्री सभा भी जानती थी कि जब तक देश की आधी आबादी यानि महिलाओं का विकास नहीं होगा तब तक पूरे देश का विकास असम्भव है। इसलिए संविधान में महिला सषक्तिकरण पर बल देने वाले प्रावधानों का उल्लेख किया गया जो निम्न हैं–

अनुच्छेद–14 : राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक क्षेत्रों में समान अधिकार और अवसर।

अनुच्छेद–15 में यह प्रावधान किया गया है कि लिंग के आधार पर भेदभाव वर्जित माना गया है। स्वतंत्रता, समानता और न्याय के साथ–साथ महिलाओं और लड़कियों की सुरक्षा और संरक्षण का काम भी सरकार का कर्तव्य है।

अनुच्छेद–15(3) महिलाओं के लिये विशेष प्रावधानों को बनाने की अनुशंसा।

अनुच्छेद–19 में महिलाओं को यह अधिकार किया गया है कि वह देश के किसी भी हिस्से में नागरिक की हैसियत से स्वतन्त्रता के साथ आ–जा सकती है, रह सकती है। व्यवसाय का चुनाव भी स्वतंत्र रूप से कर सकती है। महिला होने के कारण कोई भी कार्य करने के लिये उसको मना करना उसके मौलिक अधिकारों का हनन होगा और ऐसा होने पर वे कानून की मदद ले सकती है।

अनुच्छेद–23 नारी की गरिमा की रक्षा करते हुए उनको शोषण मुक्त जीवन जीने का अधिकार होता है। महिलाओं की खरीद बिक्री, वेश्यावृत्ति के धंधे में जब सस्ती लाना, भीख मांगने पर मजबूर करना आदि दण्डनीय अपराध है। ऐसा करने वालों के लिये भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत सजा का प्रावधान है।

अनुच्देद–24 के अनुसार 14 साल के कम उम्र के लड़के या लड़कियों से काम करवाना बाल अपराध है।

भारतीय संविधान के भाग–4 में जिन नीति–निर्देशक सिद्धान्तों का महिला दृष्टिकोण से उल्लेख किया गया है–

- **अनुच्छेद–39** राष्ट्र ऐसी नीति का निर्माण करेगा जिसमें समान रूप से स्त्री और पुरूष सभी नागरिकों को जीवकोपार्जन के साधन प्राप्त कर सकें।
- पुरूषों और स्त्रियों को समान कार्य के लिये समान वेतन मिले।
- ऐसी ओद्योगिक रीति बनाई जाए जिसमें शोषण न हो, स्त्रियों और बच्चों की सुकुमारावस्था का दुरूपयोग न हो, उनके उसकी आयु के प्रतिकूल काम ना लिया जाए।
- **अनुच्देद–42** में महिलाओं के लिए प्रसूति सहायता तथा मजदूरों के लिये काम की उचित परिस्थिति के निर्माण के लिए कहा गया है।

डॉ0 सीमा देवी, कुलदीप***

भारतीय संविधान पुरूष–महिला समानता का प्रावधान करता है और किसी भी मामले में लिंगभेद को वर्जित करता है। भारत के योजना–निर्माताओं ने 1990 के दशक के बाद में महिला सशक्तीकरण को राष्ट्र का लैगिक लक्ष्य माना है।

भारतीय संविधान में महिला सशक्तिकरण व उनमें जागरूकता बढ़ाने के जो प्रावधान रखे गये थे उनसे महिलाओं की राजनीतिक सहभागिता एवं जागरूकता में अन्तर तो आया लेकिन नारी सशक्तिकरण को नई दिशा देने का कार्य किया 1993 के 73वे व 74वें संविधान संशोधन ने भारतीय संविधान के भाग–9 के 243वे अनुच्छेद में जोड़े गए 73वे व 74वे संविधान संशोधन (स्थानीय स्वशासन) द्वारा जब महिलाओं को स्थानीय निकायों में विभिन्न पदों पर आरक्षण के प्रावधान का लाभ मिला वे बड़ी संख्या में पदधारक बन गई। 73वे व 74वे संविधान संशोधन में महिला सशक्तिकरण से सम्बन्धित प्रमुख प्रावधान निम्न हैं–

एक तिहाई स्थान (जिसमें अंतर्गत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की स्त्रियों के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या भी है) स्त्रियों के लिये आरक्षित रहेंगे और ऐसे स्थान किसी पंचायत में भिन्न निर्वाचन क्षेत्रों को चक्रानुक्रम से आवंटित किये जा सकेंगे।

अनुच्छेद–243घ(4) इसके तहत ग्राम या किसी अन्य स्तर पर पंचायतों में अध्यक्षों के पद अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और स्त्रियों के लिए ऐसी रीति से आरक्षित रहेंगे जो राज्य का विधानमण्डल विधि द्वारा उपबंधित करें।

भारतीय संविधान के भाग 9 में नगरपालिकाओं में भी स्त्रियों को कुछ विशेष अधिकार दिये गए हैं–

अनुच्छेद–243(न) के अधीन आरक्षित स्थानों की कुल संख्या के कम से कम एक–तिहाई स्थान, यथास्थिति, अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों की स्त्रियों के लिए आरक्षित रहेंगे।

अनुच्छेद–243न(3) प्रत्येक नगरपालिका में प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले स्थानों की कुल संख्या के कम से कम एक–तिहाई स्थान (जिनके अन्तर्गत अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियेां की स्त्रियों के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या भी है) स्त्रियों के लिए आरक्षित रहेंगे और ऐसे स्थान किसी नगरपालिका के भिन्न–भिन्न निर्वाचन क्षेत्रों को चक्रानुक्रम से आवंटित किए जा सकेंगे।

अनुच्छेद–243(न) खण्ड (1) और खण्ड (2) के अधीन स्थानों का आरक्षण ओर खण्ड (4) के अधीन अध्यक्षों के पदों का आरक्षण (जो स्त्रियों के लिए आरक्षण से भिन्न है) अनुच्देद–334 में विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति पर प्रभावी नहीं रहेगा।

पंचायती राज ने महिला सहभागिता व जागरूकता को नई राह दिखाई है। भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय के आँकड़ों के अनुसार पंचायत स्तर पर महिलाओं को आरक्षण दिये जाने के बाद उनकी भागीदारी लगातार बढ़ रही है। वर्ष 2000 में पूरे देश की ग्राम पंचायतों में 4080 महिलाएँ थी। वहीं वर्ष 2004 में ग्राम पंचायतों में 8,38,245 पंचायत समितियों में 47,455

तथा जिला पंचायतों में 4923 महिलाएँ चुनी गई। सरकार की ओर से मात्र 33 फीसदी आरक्षण की व्यवस्था की गई है जबकि आँकड़े बताते हैं कि पंचायतों में महिलाओं की संख्या लगातार बढ़ रही है और केरल व असम में तो यह 50 फीसदी से भी अधिक है।

1952 के प्रथम आम चुनाव से लेकर अधिकतम लगभग 10 प्रतिशत महिलाएँ ही चुनकर लोकसभा में पहुँच पाई हैं, वही राज्य सभा में आँकड़ा 15 प्रतिशत है।

लोकसभा में महिलाओं का प्रतिनिधित्व

लोकसभा	वर्ष	कुल सीट संख्या	पुरुष	महिलाएँ	कुल में महिलाओं का प्रतिशत
I	1952	499	477	22	4.41
II	1957	500	473	27	5.40
III	1962	503	469	34	6.76
IV	1967	523	492	31	5.93
V	1971	521	499	22	4.22
VI	1977	544	525	19	3.49
VII	1980	544	516	28	5.15
VIII	1984	544	500	44	8.09
IX	1989	517	490	27	5.22
X	1991	544	505	03	7.17
XI	1996	543	504	39	7.18
XII	1998	543	500	43	7.92
XIII	1999	543	494	49	7.02
XIV	2004	543	499	44	8.1
XV	2009	543	484	59	10.87

केन्द्र तथा राज्य विधायिकाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व अपेक्षाकृत कम है। राजनीतिक दलों के संगठनों में उनकी संख्या अल्प है। महिला नेतृत्व वाले दलों में भी साधारण सदस्य के रूप में उनकी संख्या कम है। कोई भी राजनीतिक दल महिला उम्मीदवारों को बड़ी संख्या में टिकट नहीं देता है निर्वाचन आयोग के इस सुझाव को सभी दलों ने नजरअंदाज कर दिया कि वे चुनावों में 83 प्रतिशत महिला उम्मीदवारों को टिकट दें।

पंचायतों में महिलाओं के लिए आरक्षण के प्रावधान के बाद 14 लाख से अधिक महिलाओं का प्रतिनिधितव पंचायतों के विभिन्न पदों पर हो रहा है किन्तु 2012 में लोकसभा में कुल 543 सांसद में से महिलाओं की कुल संख्या 60 ही है जिसमें कांग्रेस पार्टी की 24 और भाजपा की

12 है, राज्यसभा में 12 महिलाएँ हैं। यह संख्या स्थानीय स्वशासन में तो हैं लेकिन केन्द्रीय स्तर पर यह संख्या कम है।

निष्कर्ष

स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद से हमारा प्रथम उद्देश्य स्वतन्त्रता, समानता, भातृत्व को प्राप्त करना रहा है और लोकतन्त्र की महत्ता के लिये भी यह आवश्यक है। मगर जब हम गरीब, दलित व स्त्रीयों के सम्बन्ध में सोचते हैं तो क्या हम उन्हें स्वतन्त्र देख पा रहे हैं, समानता तो बाद की बात है। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक सभी स्तरों पर महिलाएँ पिछड़ी हुई व परतन्त्र दिखाई देती हैं। वोट देने व चुने जाने का अधिकार मिल जाने के बावजूद महिलाएँ, पुरूषों के बराबर नहीं आ पा रही हैं क्योंकि सामाजिक बन्धन व प्रथाएँ आज भी उनके पाँव का रोड़ बनी हुई हैं। संविधान व सरकारों में महिला उत्थान के लिये अनेकों संवैधानिक व गैर संवैधानिक प्रावधानों (मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रीय महिला आयोग, घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम, मानवाधिकार आयोग, समाज कल्याण बोर्ड व महिला उत्थान नीति, महिला स्वालम्बन, स्वधारा, बालिका समृद्धि योजना इत्यादि) का आरम्भ तो किया मगर आज भी इन योजनाओं व कानूनों को वास्तविक रूप से लागू नहीं किया जा सका है और उसके अनेकों कार्यो में से मुख्य कार्य है, पुरुष की संक्रचित सोच। आज भी पुरूषों की रूढ़ीवादी सोच ऐसी बनी हुई है कि वे महिला को अपने बराबर भी मानने को तैयार नहीं है, अपने से ऊपर मानना तो दूर की बात है। सभी देशों में कुल आबादी का लगभग आधा भाग महिलाओं का है, इसलिये उन्हें आगे लाना होगा और राजनीति में तो विशेष तौर पर क्योंकि राजनीतिक शक्ति ही ऐसी शक्ति है, जिसके माध्यम से अन्य शक्तियों पर विजय पायी जा सकता है। मगर राजनीतिक शक्ति के प्रयोग में मात्र वोट डालना ही नहीं होना चाहिए बल्कि राजनीतिक प्रतिनिधित्व भी होना चाहिए और महिलाओं को तो अपना प्रतिनिधित्व अवश्व ही बढ़ाना होगा क्योंकि इससे वे अपना वजूद दर्शा सकती है।

सन्दर्भ

शर्मा एल0एन0 एवं मुरारी कृष्ण – *राजनीति समाजशास्त्र 21वी शताब्दी मे बदलते सन्दर्भ में* ओरियंट ब्लैकस्वॉन प्राइवेट लिमिटेड, प्रथम संस्करण, 2014

आर्य साधना, मेनन निवेदिता, लोकनीता जिनी, नारीवादी राजनीति संघर्ष एवं मुद्दे, हिन्दी माध्यम कार्यान्वयन निदेशाल्य दिल्ली विश्वविद्यालय पुनमुर्द्रित संस्करण, नवम्बर 2016

सईद, एस0एम0 – *भारतीय राजनीतिक व्यवस्था*, भारत बुक सेन्टर पुनर्मुद्रित संस्करण, 2018

त्रिपाठी, श्री प्रकाश मणि – *प्रमुख राजनीति संकल्पनाएँ एवं विचारधाराएँ*, राज पब्लिकेशन (नई दिल्ली) प्रथम संस्करण, 2012

खुराना, के0एल0 एवं चौहान, एस0एस0 – *भारतीय इतिहास में महिलाएँ लक्ष्मी नारायण अग्रवाल*, आगरा तृतीय संस्करण, 2016

उपाध्याय, जय जय राम – *भारत का संविधान*, सेन्ट्रल लॉ एजेन्सी 30–डी / 1 मोतीलाल नेहरू रोड़, इलाहाबाद

गुप्ता संजना, *समकालीन भारतीय राजनीति एवं महिला सशक्तिकरण*, भारतीय राजनीति विज्ञान शोध पत्रिका, जुलाई–दिसम्बर, 2015

राम बसन्त कुमार, '*नारी अर्धांग से अनुगामिनि तक ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में,* भारतीय राजनीति विज्ञान शोध पंत्रिका, जनवरी–जून, 2009

सिंह, सतीश कुमार, '*महिला सशक्तिकरण एवं सरकारी प्रयास*, कुरूक्षेत्र पत्रिका, ग्रामीण विकास मंत्रालय, नई दिल्ली, मार्च 2015

पडलिया मुन्नी, *भारत में पंचायती राज व्यवस्था*, अनामिका पब्लिशर्स एण्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स, नई दिल्ली, 2009

योजना पत्रिका, सितम्बर 2016